

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश  
 प्रकरण क्रमांक 353 / 2016  
 संस्थापित दिनांक 02 / 06 / 2016  
 फाइलिंग नं. 300783 / 2016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—  
 गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

#### बनाम

1. शिवा दौनेरिया पुत्र अरविंद दौनेरिया  
 उम्र 21 वर्ष निवासी किला रोड गोहद  
 जिला भिण्ड म.प्र.
2. सत्यम दौनेरिया पुत्र अरविंद दौनेरिया  
 उम्र 19 वर्ष निवासी किला रोड गोहद  
 जिला भिण्ड म.प्र.

.....अभियुक्त

.....  
 (अपराध अंतर्गत धारा— 324 एवं 324 / 34 भा.दं.सं)  
 (राज्य द्वारा एडीपीओ— श्री प्रवीण सिकरवार)  
 (आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता—श्री मनोज श्रीवास्तव श्रीवास्तव ।)

.....  
:- निर्णय :-

(आज दिनांक 13/02/17 को घोषित किया)

आरोपीगण पर दिनांक 19/04/16 को 18:30 बजे अपने घर के सामने माली की चक्की गोहद में फरियादी यश श्रीवास्तव को अपमानित करने के आशय से गालीगलोज कर प्रकोपित करने एवं उसी समय सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी यश श्रीवास्तव की मारपीट कर उसे दांतों से काटकर उसे स्वेच्छया उपहति कारित करने हेतु आरोपी शिवा दौनेरिया पर भा.दं.सं. की धारा 504 एवं 324 तथा आरोपी सत्यम दौनेरिया पर भा.दं.सं. की धारा 504 एवं 324/34 के अंतर्गत आरोपी है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 19/04/16 को फरियादी यश श्रीवास्तव व्यायाम करने जिम पशु अस्पताल में गया था। वह जिम में कसरत कर रहा था, तब आरोपी शिवा दौनेरिया ने कहा था कि जिम ऐसे नहीं करते हैं। इसी बात पर गाली-गलोज करने लगा था। फरियादी यश ने उसे रोका था एवं वह जिम से वापस चला आया था। फरियादी यश शिवा दौनेरिया के घर के सामने से निकला था तो सत्यम ने यश को सरिये मारे थे जो उसके दोनों पैरों में लगे थे। शिवा ने उसे झापड़ मारा था तथा उसके हाथ में दांतों से काट लिया था। मौके पर उसे कालेगौरे ने बचाया था। फरियादी यश द्वारा घटना के संबंध में पुलिस थाना गोहद में अदम चैक क्र. 90/16

लेखबद्ध की थी एवं फरियादी यश को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा भा। चिकित्सीय रिपोर्ट में फरियादी यश को आयी चोट दांतों से काटना लेखबद्ध होने के कारण आरोपीगण के विरुद्ध पुलिस थाना गोहद में अपराध क्र. 110/16 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. उक्त अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। आरोपीगण को आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक अंकित किया गया।

4. ये उल्लेखनीय है कि प्रकरण में फरियादी यश द्वारा आरोपीगण से स्वेच्छयापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेने के कारण आरोपीगण को पूर्व में ही भा.दं.सं. की धारा 504 के आरोपी से दोषमुक्त किया जा चुका है एवं आरोपी शिवा पर भा.दं.सं. की धारा 324 एवं आरोपी सत्यम पर भा.दं.सं. की धारा 324/34 के अंतर्गत विचारण शेष है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ है :-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 19/04/16 को 18:30 बजे अपने घर के सामने माली की चक्की गोहद में सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी यश श्रीवास्तव की मारपीट कर उसे दांतों से काटकर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की?

6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी यश श्रीवास्तव अ.सा. 1 को परीक्षित कराया गया है, जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

#### निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

##### विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी यश श्रीवास्तव अ.सा. 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग नौ दस महीने पहले शाम छः सात बजे की है। वह पशु अस्पताल के पास स्थित जिम में कसरत कर रहा था, वहीं शिवा और सत्यम आ गये थे। कसरत करने के ऊपर उसका आरोपीगण से मुंहवाद हो गया था। आरोपीगण ने गाली गलोज कर दिया था अन्य कोई बात नहीं हुई थी, उसने इसी बात की रिपोर्ट थाना गोहद में की थी जो प्रदर्श पी 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि झगड़े के दौरान आरोपीगण ने उसकी मारपीट की थी एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि शिवा ने उसके झापड़ मारे थे एवं उसे दांतों से काट लिया था। उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने मारपीट करने वाली बात अपने रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 और पुलिस कथन प्रदर्श पी 3 में पुलिस को लिखायी थी।

8. इस प्रकार यश श्रीवास्तव अ.सा. 1 ने अपने कथन में आरोपीगण से मुंहवाद एवं आरोपीगण द्वारा गालीगलोज करना बताया है तथा व्यक्त किया है कि गालीगलोज के अतिरिक्त अन्य कोई बात नहीं हुई थी। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर भी उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि झगड़े के दौरान आरोपीगण ने उसकी मारपीट की थी एवं इस तथ्य से भी इंकार किया है कि शिवा ने उसे झापड़ मारे थे और उसे दांतों से काट लिया था। इस प्रकार फरियादी यश श्रीवास्तव ने न्यायालय में अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपीगण द्वारा मारपीट करने वाली बात से इंकार किया है। उक्त साक्षी के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह दर्शित होता हो कि झगड़े के दौरान आरोपीगण ने सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी यश श्रीवास्तव की मारपीट कर उसे दांतों से काटकर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की थी। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

9. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपीगण के विरुद्ध अपना मामला प्रमाणित करे। यद अभियोजन आरोपीगण के विरुद्ध मामला प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपीगण की दोषमुक्ति उचित है।

10. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 19/04/16 को 18:30 बजे अपने घर के सामने माली की चक्की गोहद में सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी यश श्रीवास्तव की मारपीट कर उसे दांतों से काटकर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की। फलतः यह न्यायालय साक्ष्य के अभाव में आरोपी शिवा को भा.दं.सं. की धारा 324 एवं आरोपी सत्यम को भा.दं.सं. की धारा 324/34 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

11. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर हैं उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

12. प्रकरण में जप्तशुदा लोहे का सरिया मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् तोड़-तोड़ कर नष्ट किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों को पालन किया जावे।

स्थान – गोहद

दिनांक – 13 /02 /2017

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित  
कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।  
सही/—

मेरे निर्देशन में टंकित  
किया गया।  
सही/—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

(प्रतिष्ठा अवस्थी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)